

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 211/2024

SANJAY AGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENT'S

INDEX

| S.NO | PARTICULARS | PAGE No. |
|-------------|--|-----------------|
| 1. | Counter affidavit on behalf of Respondent No.09 | 1-9 |
| 2. | ANNEXURE R/1 Copy of the sale deed dated 04.02.2015 | 10-25 |
| 3. | ANNEXURE R/2 Copy of the sale deed dated 04.02.2015 | 26-42 |
| 4. | ANNEXURE R/3 Copy of the sale deed dated 05.04.2014 | 43-72 |
| 5. | ANNEXURE R/4 Copy of Master plan of Rishikesh | 73-74 |
| 6. | ANNEXURE R/5 Copy of Government order dated 27.12.2021 | 75-76 |
| 7. | ANNEXURE R/6 Copy of photographs of the township developed adjacent to the said land along with satellite image of the said buildings. | 77-81 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8. | ANNEXURE R/7 Copy of photographs of the said water outlet along with electricity bills. | 82-84 |
| 09. | ANNEXURE R/08 Copy of rules of the development authority, government order | 85-106 |
| 10. | VAKALATNAMA | 107 |
| 11. | Proof of Service | 108 |



Filed on: 06.11.2024

ROHIT PANDEY
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT
LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,
Hailey Road, New Delhi
Rohit.pandey4587@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 211/2024

SANJAY AGARWAL

...APPLICANT

VERSUS


STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENT'S

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 09

I, Amit Goyal, S/o Krishna Gopal Goyal, R/o 15 Old Post office Road, Main Bazaar Rishikesh aged about 45 years, I am the respondent no. 9 in the aforesaid Original Application do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I am the respondent no. 09 in the aforesaid Original Application and fully acquainted with the facts and circumstances of the case and, hence competent to swear this affidavit in the above captioned matter.
2. That I have read the Notice by the National Green Tribunal on the basis of the facts mentioned before the Hon'ble Bench and fully understood the same and I state that same are Incorrect, misleading thus the contents of the same are denied.
3. At the very outset, it is submitted that the contents/averments in the above captioned original application to the extent not specifically adverted to and replied herein shall be deemed to have



been traversed in extensor and denied by the Respondent No. 09 save and except those which are expressly admitted hereinafter.

4. It is humbly submitted that the Respondent No 9 reserves its rights to add, modify or otherwise elaborate its reply, averments, contention, submissions and to place on record further annexures/ documents as may be required or as and when directed by this Hon'ble Court.

5. PRELIMINARY SUBMISSIONS

- (a) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that the complainant/informant is himself involved in constructing buildings/residences in the same area, adjacent to the disputed residential buildings. He has not approached this tribunal with clean hands, as he is a co-purchaser, which is clearly reflected in the sale deed dated 04.02.2015, and has actively participated in constructing a similar building next to the said land. This complaint appears to stem from a personal vendetta rooted in enmity with his partners. Copy of the sale deed dated 04.02.2015 is Annexed here as **Annexure R/1 from page 10 to 25**.
- (b) Furthermore, it is relevant to note that respondents no. 1 to no. 3 did not take any action concerning the development or construction of these buildings until after the National Green Tribunal intervened. These authorities were aware of an already developed township in the area, which was established even before the construction of these buildings, without approved maps or NOCs. The department itself




acknowledged in its report that no approvals can be granted for such development in this area.

- (c) The brief facts of the present case are that Respondent No. 9 purchased this land in from the previous owner, Meeta Johar, through a sale deed dated 04.02.2015. In the sale deed, the respondent was informed that the land was free from any encumbrances. Additionally, he was advised that he could proceed with constructing a residential building, noting that the township includes adjacent residential, commercial, and hotel properties. Copy of the sale deed dated 04.02.2015. is marked as **Annexure R/2 from page 26 to 42**.
- (d) It is also important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the executed sale deed is not the first instance where this land was involved in a transaction. The land had previously been sold on two prior occasions, as can be clearly understood from the table provided below:


| S No | DETAILS OF THE SELLER | DETAILS OF THE BUYER | DATE OF EXECUTED SALE DEED | ANNEXURE | PAGE NO. |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|
| 1 | MEETA JOHAR | AMIT GOYAL & Ors. | 04.02.2015 | R/2 | 26-42 |
| 2 | NAVEEN KUMAR | MEETA JOHAR | 05.04.2014 | R/3 | 43-72 |

NOTARY
A.N. SINGH
(Advocate)
Supreme Court of India
Regd. No. 10959
Exp. Date: 31.03.2023

- (e) It is important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the photographs annexed to the aforementioned sale deeds clearly show that the constructions adjacent to the said land were already in place before the registration of the sale deeds
- (f) It is also important to mention before this Hon'ble Court that the said land, along with the adjacent lands, is categorized under "Krishi Hari Pattika" as per the Master Plan Rishikesh, and not under "Hari Shreni," as observed by this Hon'ble Court. Copy of Master Plan Rishikesh is annexed here as **Annexure R/4 from page 73 to 74**.
- (g) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that, as evident from the designation in the Rishikesh master plan, the term "Krishi Hari" in "Krishi Hari Pattika" refers to land designated by the government specifically for agricultural purposes. Contrary to previous statements made before this Hon'ble Court, this land does not fall under the category of "Hari Shreni," as it lacks any trees and covered forests.
- (h) It is submitted that a crucial fact has been concealed from this Hon'ble Court: the constructions adjacent to the respondent's buildings were erected years before the respondent's residential buildings, commercial complexes and Hotels. None of these constructions have had their maps approved by the development authorities, as the said land falls under the "Krishi Hari Pattika" category.



- (i) It is also submitted before this Hon'ble Court that the area in question has been converted from a village to a Nagar Panchayat. This rural-to-urban conversion was undertaken in accordance with the law, following an increase in the population from 12,000 to 40,000, reflecting the area's development into a city. This transition was formalized by a State Government order dated 27 December 2021. Copy of the Government order dated 27 December 2021 is annexed here as **Annexure R/5** from page 75 to 76.
- (j) Furthermore, a fact that has been concealed from this Hon'ble Court is that not only the buildings mentioned in the aforesaid table have been constructed adjacent to the respondent's residential buildings, but an entire city has been developed in the area. This stands in stark contrast to the action being taken solely against the respondents. Copy of photographs of entire developed city adjacent to these buildings along with satellite image of the said township are annexed here as **Annexure R/6** from page 77 to 81.
- (k) The petitioner respectfully submits before this Hon'ble Court that the cognizance taken by this Court, as mentioned in the attached notice, raises valid concerns regarding the dumping of construction material into the natural stream. However, the respondent clarifies that the water outlet referred to as a natural stream is not a permanent water body. It is, in fact, a seasonal water outlet that functions only during the rainy




6

season to channel water from the mountains and remains dry for the rest of the year and also the said respondent has used paid water and electricity at the time of the construction. The copy of the photographs of the water outlet along with bills of electricity and water supplied at the time of construction are annexed here as **Annexure R/7 from page 82 to 84**.

- (I) The petitioner further respectfully submits before this Hon'ble Court that no construction material has been dumped into the said stream. During the same year, during the prolonged rainy season, the stream was operational. Had it not been functioning, as a fact various issues would have arisen, which did not occur during that period. Further it is strongly denied that the construction waste is being dumped into the said natural stream and the applicant has alleged the same without any proof which is clearly evident from the photographs annexed as **Annexure R/7**


- (a) The respondent fully denies the concern raised in point 02 regarding map approval. It has been clarified that neighbouring buildings were constructed earlier without any map approval, as the area falls under "Krishi Hari Pattika," where the development authority does not grant such approvals. The respondent contends that only the respondent is being singled out in this case. The copy of photographs are annexed here as **Annexure R/6**.



(b) The respondent completely denies the concern raised in point 03 regarding the requirement to obtain NOCs from the air and water pollution control boards. Since the development authority can not approve maps in this area as land is in krishi hari pattika, and for residential purposes no Noc's are required as per mandate. Furthermore, neighbouring buildings, including commercial structures, have also been constructed without obtaining such NOCs. The respondent's building, however, is intended for residential use.

(c) The respondent fully denies the concern raised in point 04 regarding the installation of a sewage treatment plant, as this issue was raised by this Hon'ble Court but is not applicable to the property in question. According to development authority regulations of National Green Tribunal itself the building's area is _____ sq mt. and sewage treatment plants are only required for buildings exceeding an area of 10000 sq. mt wherein also the department has certified the sewage line and sewage connection in the said building as required as per government order. The copy of the rules of the development authority along with Government order are annexed here as **Annexure R/8 from page 05 to 106**.

(d) The respondent categorically denies the concern raised in point 05 by this Hon'ble Court, stating that no



संस्कृत विद्यापीठ, मुंबई
संस्कृत विद्यापीठ, मुंबई
संस्कृत विद्यापीठ, मुंबई

land associated with the rainwater disposal stream has been encroached upon or acquired during the construction of the residential building. The respondent asserts that all construction activities have respected the designated boundaries, ensuring that the natural water drainage pathways remain unaffected.

In light of the facts and submissions, the action taken by this Hon'ble Court concerning the alleged dumping of construction material in the rainwater disposal stream is entirely denied, as detailed in paragraph (K) of the Preliminary Submissions. No environmental laws have been violated in this regard, and the court's cognizance is based on concealed facts and is therefore liable to be dismissed.

I identify the deponent who has signed/T.I in my presence

Signature
Adv./Self
ID No.


Certified that the above named deponent
Verify by Sign
Statement
No. 8552 at Delhi
The contents of the affidavt which have
been read & explained to me are true and
correct
Notary
VERIFICATION

Arant Goyal

[Signature]
DEPONENT

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of para no. 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.

Verified and signed on this _____ day of 06 NOV 2024 at



ATTESTED
ATTESTED
A. N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, New Delhi

06 NOV 2024

[Signature]
DEPONENT

120

9



ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

16/15

60

Annexure R/1

| विक्रय विलेख का वांछित विवरण | | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | विक्रय मालियत प्रतिफल | - ₹31,40,000/- |
| 2. | शासकीय मूल्यांकन | - ₹ 31,37,098/- |
| 3. | स्टाम्प शुल्क | - ₹1,57,000/- |
| 4. | स्टाम्प पृष्ठों की संख्या | - 13 |
| 5. | विवरण विक्रीत भूमि | - भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-85 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पदटी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। |
| 6. | मुख्य मार्ग से दूरी | - विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। |
| 7. | भूमि क्रय का प्रयोजन | - आवासीय प्रयोजन हेतु। |
| 8. | सर्किल दर | - ₹10,192/-वर्ग मीटर। |
| 9. | विक्रेता का नाम व पता | (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेशाम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN AFGRI-2511N) (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री निशान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारेशाम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। |
| 10. | क्रेता का नाम व पता | (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रमान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B) |

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]



एड UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीगति मीता जोहर पत्नी श्री मानव जोहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारआम श्री मानव जोहर पुत्र श्री मनजीत जोहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनका इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर संबोधित किया गया है)।

.....विक्रेतागण

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

432/1
31.1.15

निश्चित 123 (12)
श्री कर्म देवता 16
कम 31,40,000.00 फी 10,000.00 90,90,100.00
निश्चित 100.00 2600


निश्चित देवता

अजय कुमार गोपाल

10-3-1991 नमः (नाभिकेस)

62.15

12 21



31

31,40,000.00 रुके

मानक जीए 50 मजरी जीए (लीमिटेड)
श्रीमती कर्म देवता कर्म देवता (लिमिटेड) व लीमिटेड
श्रीमती कर्म देवता कर्म देवता 50 कर्म देवता गोपाल लीमिटेड
लिमिटेड श्रीमती कर्म देवता कर्म देवता 50 लीमिटेड
कर्म देवता लीमिटेड कर्म देवता 50 लीमिटेड
नाभिकेस (देवता)

निश्चित देवता

अजय कुमार

कर्म देवता कर्म देवता नाभिकेस

कर्म देवता कर्म देवता

कर्म देवता कर्म देवता

10-3-1991 कर्म देवता

अजय

अजय अजय

अजय

अजय

अजय

द्वितीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपयेRs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



[3]

ने



254074

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून, (2) श्री अभित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-16 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

.....क्रेतागण

[Handwritten signatures and marks]

अजय अग्रवाल

[Signature]

[Signature]

125

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी ध्रुमान्दस्थ, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि, सजिस्टार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं0-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सजप (राखण्ड)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जोहर पत्नी श्री मानव जोहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जोहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनांक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

127

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थ, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मुख्य अधिकारी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनांक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

13/10/2010

129
6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राज्य UTARAKHAND

254076

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में दर्शित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में दर्शित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यासन स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में दर्शित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में दर्शित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में दर्शित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

[Handwritten signatures and stamps]

130

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

[7]

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वार स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

[Handwritten signatures and stamps]

मह
Kartan
समस्त विक्रेतागण
[Signature]

131



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499206


[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रीत भूमि के संदर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत भूमि के संदर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रीत भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. One stamp clearly shows the date '20/01/21'.

132



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499207

[9]

(घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेतागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेतागण को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेतागण को अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

(ङ) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेतागण को विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेतागण, क्रेतागण की मांग पर व क्रेतागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।

[Handwritten signature]

Mr. Katar
[Handwritten signature]

मजपु (मज) बाल

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

133



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499208

[10]

(च) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अधिासन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हर्जागत क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बनेंगे।

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 उत्तराखण्ड न्यायालय
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499209

[11]

- (3) यह कि विक्रीत भूमि ग्रीजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्सू, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला, टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन अंकन ₹ 10,192/- वर्ग मीटर है। इस प्रकार विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन ₹ 31,37,098/- निर्धारित होता है। भूमि का विक्रय मूल्य अंकन ₹ 31,40,000/- (₹ इकतीस लाख चालीस हजार मात्र) है जिस पर नियमानुसार ₹ 1,57,000/- का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। भूमि अन्तर्गम में कोई वैध बाधा नहीं है।

[Signature]

[Signature]
 27/04/2017

[Signature]

[Signature]

(22)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210

[12]


- (4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक हैं। भूमि पर सिलिंग अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू, पर्यता व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

[Handwritten Signature]
20/01/20

[Handwritten Signature]
20/01/20

[Handwritten Signature]
20/01/20

(23)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]


- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां जहां शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशाये निम्न प्रकार है :-

| | | |
|------------|---|---|
| पूरव में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच, |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट, |
| उत्तर में | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच, |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगण के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जौहर)
द्वारा मुख्ताराम श्री मन्मथ जौहर
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)
द्वारा मुख्ताराम
श्री निशांत मलिक
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)
क्रेता संख्या-1

(श्री अमित गोयल)
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)
क्रेता संख्या-5

25

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, की धारा 32(ए) के अन्तर्गत अंगुलिया के निशान

विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

| | अनुष्ठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा |
|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| बायाँ हाथ | | | | | |
| दायाँ हाथ | | | | | |

विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

| | अनुष्ठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा |
|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| बायाँ हाथ | | | | | |
| दायाँ हाथ | | | | | |

विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

| | अनुष्ठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा |
|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| बायाँ हाथ | | | | | |
| दायाँ हाथ | | | | | |

[Signatures]
 विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा

16/15

(26)

Annexure 12

| विक्रय विलेख का वांछित विवरण | | |
|------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | विक्रय मालियत प्रतिफल | :- ₹31,40,000/- |
| 2. | शासकीय मूल्यांकन | :- ₹ 31,37,098 /- |
| 3. | स्टाम्प शुल्क | :- ₹1,57,000/- |
| 4. | स्टाम्प पृष्ठों की संख्या | :- 13 |
| 5. | विवरण विक्रीत भूमि | :- भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि0 कूल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी घमान्दस्युं तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। |
| 6. | मुख्य मार्ग से दूरी | :- विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। |
| 7. | भूमि क्रय का प्रयोजन | :- आवासीय प्रयोजन हेतु। |
| 8. | सर्किल दर | :- ₹10,192/-वर्ग मीटर। |
| 9. | विक्रेता का नाम व पता | :- (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून। PAN AFGRJ 2911N (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री निशान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारैआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। |
| 10. | क्रेता का नाम व पता | :- (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व0 श्री चन्द्रमान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B) |

Raj

Raj

Raj

Raj

Raj

27

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीगति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेशम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेशम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर संबोधित किया गया है)।

.....विक्रेतागण

(Handwritten signatures and names)

अज्ञेय शर्मा

अज्ञेय शर्मा

अज्ञेय शर्मा

अज्ञेय शर्मा

अज्ञेय शर्मा

4321
31-1-15

निरिक्षण गोपनीय १/० अजय गुप्ता 16
कम 31,40,000.00 फीस 10,000.00 जद 10,000.00
निधि 100.00 रु 600


(28)

निरिक्षण गोपनीय

अजय गुप्ता गोपनीय
10. 31.15 नग (अधिकेस)

6.2.15

12. 81



31

[Handwritten signature]

31,40,000.00 रु

मानक जोडर १० मजदूर जोडर ली निधि
१० ली कर्मचारी कर्मचारी (लिखित गण) व ली निधि
१० ली अजय गुप्ता, कमित गोपनीय १० रु १००० अजय गुप्ता गोपनीय
निधि १० ली - यदुका १० मजदूर संजय कर्माचार १० ली ल
कर्मचारी ली (जग गुप्ता १० गोपनीय गुप्ता निधि १०
अधिकेस (सुतागण)



विशाल निधाय

अजय गुप्ता

अतः अजय गुप्ता अजय गुप्ता

दुर्गा अजय गुप्ता

अतः अजय गुप्ता

10- निधि अजय गुप्ता

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अजय गुप्ता

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




द्वितीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



254074

[3]

ने

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून, (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द्र गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

.....क्रेतागण

[Handwritten signatures and notes]
मंजूर 22/01/21

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
राखण्ड गढ़वाल
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनोंक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त गलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त गलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनोंक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

भारतीय गैर न्यायालयीन INDIA NON JUDICIAL

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254076

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यासन स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 राज्य न्यायालय
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

[7]

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

[Handwritten signatures and stamps]

संजय शर्मा



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499206


[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रीत भूमि के संदर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत भूमि के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रीत भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'सत्यमेव जयते' (Truth Alone Triumphs).]

35



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499207

[9]

- (घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेतागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेतागण को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेतागण को अन्तरित किये जा रहे हैं।
- (ड) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेतागण को विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेतागण, क्रेतागण की मांग पर व क्रेतागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।

[Signature]


Mr. Katar

संलग्न पत्र वाला

[Signature]

[Signature]

[Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499208

[10]

- (च) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अध्यासन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बनेंगे।

Rajan
Rajan
 राजन शर्मा

mebbis

Rajan



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


499209

[11]

- (3) यह कि विक्रीत भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्व्यूं, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन अंकन ₹ 10,192/- वर्ग मीटर है। इस प्रकार विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन ₹ 31,37,098/- निर्धारित होता है। भूमि का विक्रय मूल्य अंकन ₹ 31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) है जिस पर नियमानुसार ₹ 1,57,000/- का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। भूमि अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है।

[Handwritten signatures and dates]
 24/04/2017

38



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210


[12]

(4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक है। भूमि पर सिलिंग अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।

(5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्थूँ, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

[Handwritten signatures and marks]

(39)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]

- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां जहां शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशाये निम्न प्रकार है :-


| | | |
|------------|---|---|
| पूरब में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच, |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट, |
| उत्तर में | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच, |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

[Signature]

[Signature]

[Signature]

20



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जौहर)
द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)
द्वारा मुख्तारैआम
श्री निशांत मलिक
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)
क्रेता संख्या-1

(श्री अमित गोयल)
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)
क्रेता संख्या-5

सत्यमेव जयते

(42)

... सं० एक जिल्द सं० 39
 ... 3/3 से 328 तक क्रमांक 16
 ... दिनांक 6-2-15 ... को पंजीकृत
 किया गया

जिला अधिकारी
 सिंधी राजधानी



34/17156

विक्रय पत्र

8

43

Annexure B

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| प्रमुख क्षेत्र | - | ग्रामीण क्षेत्र। |
| बंदीनाथ-मुख्य सडक से दूरी | - | 300 मीटर से अधिक। |
| सर्किल दर | - | 3,500/रुपये प्रति वर्ग मीटर। |
| क्रेता | - | महिला व पुरुष। |
| मौजा | - | ग्राम तपोवन। |
| क्षेत्रफल | - | 956.62 वर्ग मीटर। |
| मालियत विक्रय पत्र | - | 33,50,000/रु०। |
| बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया | - | 33,50,000/रु०। |
| महिला के 1/2 भाग पर स्टाम्प शुल्क | - | 62,900/रुपये। |
| पुरुष के 1/2 भाग पर स्टाम्प शुल्क | - | 83,800/रुपये। |
| कुल स्टाम्प | - | 1,46,700/रु०। |
| भूमि का प्रकार | - | आवासीय। |

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- मैकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन पट्टी घमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल हाल निवासी- ग्राम घौलास, राजावाला, विकासनगर देहरादून जिला देहरादून।

विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर निवासी- 104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (हिस्सा 50 प्रतिशत) व श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक (हिस्सा 25 प्रतिशत) स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम ओर से अपने सगे भाई श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक निवासीगण- 175, वीरमद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (हिस्सा 25 प्रतिशत) ।

क्रेतागण

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी सं० 41, एवं नया खाता खतौनी सं० 88 के अनुसार पुराना खसरा नं० 85, नया खसरा नं० 25 मि०जू० कुल रकबा 0.3138 में से विक्रीत रकबा 1143.70 वर्ग गज यानि 956.62 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी घमान्दस्यू, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्री नवीन कुमार PAN ANKPK3699Q

क्रेता :- श्रीमती मीता जौहर, PAN AFQPJ2911N

क्रेता :- श्री निशान्त मलिक PAN ABIPM2901K

गवाह :- विरेन्द्र कुमार अरोड़ा, D.L UK-1419750059045

गवाह :- अतुल बिष्ट, PAN AICPB2850K

Handwritten signatures and names:
 V.A. → Meeta Jaha → *[Signature]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



T
Court Compound
Rishikesh
विक्रय पत्र



T
Court Compound
Rishikesh

89545



प्रथमपक्ष/विक्रेता:- मैकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी-
तपोवन पदटी घमान्दस्युं तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-
ग्राम धौलास, राजावाला, विकासनगर देहरादून जिला देहरादून।

विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर निवासी-
104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (हिस्सा 50 प्रतिशत) व
श्री. निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक (हिस्सा 25 प्रतिशत) स्वयं व
बड़ेसियत, सुख्तारेखाम ओर से अपने सगे माई श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री
कमलकान्त मलिक निवासीगण- 175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून
(हिस्सा 25 प्रतिशत) ।

क्रेतागण

2.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Meeta Johar

07/11
5/4/14

श्री. गीता जी. गांधी वा. गांधी 58

(45)

वफा 3350 मू. - की 20,000/- म
10.00 सि. (10.100/-) - को 20,110-00
अम्बु

कार्यालय
कोटवा

5 APR 2014

श्री. गीता जी. गांधी
पुत्र श्री. गीता जी. गांधी
निवासी. 585858 रोड अम्बु
ने आज दिनांक 7.4.14
को मध्य 2.30 बजे
कार्यालय जिला निबन्धक टिहरी
में प्रस्तुत की।

अजित बिष्ट
स्टाम्प विक्रेता ढालवाला

जिला निबन्धक
टिहरी गढ़वाल

Meda Johar

इस लेख पत्र का निष्पादन व
विक्रय धन रु 0 मु 33,50,000-00 पूरा
में से रु 0 मेरे समक्ष

प्राप्त करके श्री. गीता जी. गांधी को 10 कि. मी. सि. (10.100/-) म
50 कप का न. न. अम्बु

ने प्रेषित किया। अम्बु
पुत्र श्री. 585858
निवासी. अम्बु

व श्री. गीता जी. गांधी
पुत्र श्री. गीता जी. गांधी
निवासी. गीता जी. गांधी

ने की। अम्बु

जिला निबन्धक
टिहरी गढ़वाल



APR

साक्षियों के अंगुष्ठ छाप निम्नानुसार
लिये गये।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

8954

2.


जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: J. K. Johar

3.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

895456

3.


यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० श्री बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं शेखरी देवी उर्फ शेषरी देवी पत्नी स्व० श्री बहादुर सिंह निवासी ग्राम तपोवन जिला टि०ग० से क्रय की हुई है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1 जिल्द 235, पृष्ठ 209 से 224 मे दस्तावेज नं० 85 दिनांक 15.01.2008 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल मे विधिवत् पंजीकृत है तथा भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित व दर्ज चली आ रही है, इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अडि कार कानूनी रूप से प्राप्त है।

V. A. K.

[Signature]

Neeta Johar

4.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

89545;

4.


यहकि क्रेता हर्षित मलिक ने भूमि को क्रय करने के लिये अपने सगे भाई श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया हुआ है जिसके मुख्तारनामा विलेख का पंजीकरण बही नं० 4, इ० जिल्द नं० 131 पृष्ठ 275 से 284 में नं० 389 पर दिनांक 13.10.2010 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, ऋषिकेश जिला देहरादून में विधिवत् पंजीकृत है क्रेता द्वारा मुख्तारनामा विलेख का खण्डन नहीं किया गया है, क्रेता आज दिन तक जीवित है और मुख्तारनामा विलेख पूर्णतयः प्रभावी है।

V.A.M.

[Signature]

[Signature]
Neda
Johar

5.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

8954

.5.


यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेतागण श्रीमती मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर व श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक स्वयं व बहैसियत मुख्तारैआम ओर से अपने सगे भाई श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक को मु० 33,50,000/रूपये (तैंतिस लाख पचास हजार रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद, प्राप्त कर ली है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Meeta Jolar]

.6.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

89545

6.

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेतागणों को करा दिया है क्रेतागण को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे ।

V. Acharya

[Signature]

Teeta Johar

7.

(51)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

89546


.7.

यहकि क्रेतागण आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागण को समान रूप से प्राप्त होंगे।

V. A. K.

W. S. K.

Neeta Johar



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

895461

-8-


यहकि क्रेतागण को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखो व राजस्व अभिलेखो, से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही मे विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे, तथा भविष्य मे क्रेतागण के स्वामित्व पुष्टि हेतू कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेगें।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Meeta Johar]

-9-



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

895462

9.

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि, यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होंगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि- आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानो की होगी ।


Wadhwa

Wadhwa

Neeta Johar

9.

(54)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

89546:

.10.

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रैतागण के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रैता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

Wah

Wah

Neeta Johar

.11.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517969

.11.

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है।
 इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि,
 स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस
 विक्रय पत्र का पालन करेगे ।

V.A.K.

Meeta Johar

.12.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517970

.12.

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध मे विक्रेता एवं क्रेतागण के मध्य पूर्व मे कोई इकरारनामा पंजीकृत नही हुआ है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Meeta Johar]

.13.



517971

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.13.

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।

यहकि विक्रेता एवं क्रेतागण/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रहे भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांगलादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

V. A. B.

[Signature]

Meeta Johar

.14.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नही

है।

W.A.K.

W.A.K.

Meeta Johar

1729



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517965

.15.

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है ।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती मे नही है।

Wahz *_____* *Neeta Johar*

.16.



● उत्तरांचल UTTARANCHAL

517966

.16.

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन, परगना व तहसील नरेन्द्रनगर पट्टी
घमान्दस्खूँ, जिला टिहरी गढ़वाल मे स्थित है तथा बद्दीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मी० से
अधिक की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है ।

Wach
msubit
Neeta Johar

.17.

(8)



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517967

.17.

यहकि राष्ट्रीय राज मार्ग से डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्मित आवासीय योजना
डेक्कन वैली के मार्ग से होते हुए विक्रीत भूमि तक पहुंचने वाला मार्ग 7.50 मीटर चौड़ा
है ।

Wahz

Wahz

*Neeta
Johan*

.18.



517968

उत्तरांचल **UTTARANCHAL**

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद
विचाराधीन नहीं है।

W. H. S.

W. H. S.

Neeta Johar



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

503763

.19.

यहकि नवीन कुमार/विक्रेता मैसर्स डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने जाने हेतु निर्मित किया हुआ है, उसका उपयोग व उपभोग अन्य खरीददारों के भांति क्रेता व उसके हित -प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि समान रूप से करेगा, रास्ता केवल रास्ते के रूप में ही रहेगा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता मै० डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो आवासीय भवन निर्मित किये गये हैं, भविष्य में यदि किसी सोसाइटी का गठन होता है, तो उक्त सोसाइटी भी क्रेता के आवगमन वाले रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यदि रास्ते के बावत किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हर प्रकार से प्रथमपक्ष/विक्रेता की होगी।


Wahz

Wahz

Neeta Johar

.20.

17/64



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

20.

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 956.82 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 3,500/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 33,50,000/रुपये होता है, जिसमें नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 1,46,700/रुपये अदा किये गये हैं ।

Wahz

Wahz

Geeta Johar

21.

178(65)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

503761

21.

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी सं० 41, एवं नया खाता खतौनी सं० 86 के अनुसार पुराना खसरा नं० 65, नया खसरा नं० 25 मि०जु० कुल रकबा 0.3136 में से विक्रीत रकबा 1143.70 वर्ग गज यानि 958.62 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थ, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

Wahz

Wahz

Geeta Johar

22.

179
(66)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22.

- पूरब मे - 7.5 फीट चौडा; रास्ता व भूमि विक्रेता ।
पश्चिम मे - भूमि श्री पुष्कर आदि ।
उत्तर मे - बरसाती नाला ।
दक्षिण मे - भूमि श्री मानव जौहर व रीजेन्ट होटल्स आदि की ।

W.K.

W.K.

Neeta Johar

23.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


23.

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 पक्षकार | विक्रेता | नाम | नवीन कुमार | हस्ताक्षर | <i>NA</i> |
| बायां हाथ (Left Hand) अनुष्ठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्का | |



| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| दायां हाथ (Right Hand) अनुष्ठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्का |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|



24.

NA
Subh
 Meeta Johar



693102

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

24.

2- पक्षकार

क्रेता

नाम श्रीमती मीता जौहर

Meeta Johar
हस्ताक्षर

बायां हाथः (Left Hand) अनुष्ठा

तर्जनी

मध्यमा अनामिका

कनिष्का



दायां हाथः (Right Hand) अनुष्ठा

तर्जनी

मध्यमा अनामिका

कनिष्का



Meeta Johar

Meeta Johar

Meeta Johar

25..

69



उत्तरांचल UTTARANCHAL

25.

3- पक्षकार क्रेता स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम नाम श्री निशान्त मलिक हस्ताक्षर
 बाया हाथः (Left Hand) अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा


दायां हाथः (Right Hand) अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Handwritten signature

Handwritten signature

Neeta Johar

20



K 289612

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

.26.

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 05.04.2014 ई0 को स्थान तपोवन जिला टि0ग0, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

Wank
Neeta Johar

(20)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 289613

.27.

ह0 विक्रेता

(नवीन कुमार)

ह0 क्रेता

(श्रीमती मीता जौहर)

ह0 क्रेता

स्वयं व बहैसियत मुख्तार आम

(श्री निशान्त मलिक)

ह0 गवाह

अतुल बिष्ट,

एडवोकेट।

ह0 गवाह

विरेन्द्र कुमार अरोड़ा पुत्र श्री बसन्त

लाल अरोड़ा नि0 गंगापुरम् गंगा

नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून।

विक्रेता एवं क्रेतागण के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-

अतुल बिष्ट,

ATUL BISHT
AdvocateCourt Compound
Rishikesh

टंकण मेरे कार्यालय में किया गया।

87 98
स्तीर

सहायक
(विश)
नरेन्द्र-नगर (100)

अनिल विष्ट
स्वामी दासवासा

5 APR 20

बही सं० एक जिल्द सं० 37
पृष्ठ सं० 55 से 51 तक क्रमांक 34
पर आज दिनांक 7.4.14 को पंजीकृत
किया गया।




जिला रजिस्ट्रार
देहरादून

73

Annexure R/4

ऋषिकेश महायोजना 2011 हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग ब)

संकेतिका



निर्मित क्षेत्र

आवासीय

पर्यटन

व्यापारिक

सद्योग

कार्यालय

सामुदायिक सुविधाएँ

यातायात एवं परिवहन

पार्क एवं खुले क्षेत्र

बी-1

बी-2

आर-1

आर-2

टी-आर

सी-1

सी-2

सी-3

सी-4

साई

पी

एफ

टी-1

पी-1

पी-2

पी-3

पी-4

पी-5

मापनी :



वर्तमान निर्मित क्षेत्र (375 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से अधिक)

प्राचीन आवासीय

आवासीय नव्य घनत्व (250 से 375 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)

आवासीय निम्न घनत्व (180 से 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)

पर्यटन

मध्यम शक्तिय क्षेत्र

मनवीर्य शक्तिय क्षेत्र

शोक शक्तिय क्षेत्र एवं सम्मेलन

वायार क्षेत्र

सद्योग

कार्यालय

सामुदायिक सुविधाएँ

बस बन्दूक

ट्रान्स्पोर्ट नगर/ट्रक बन्दूक

पार्क एवं खुले स्थल

नदी तटीय विकास

सुष्म मेजा क्षेत्र

संरक्षण/बाग

कृषि उचित परिदृश

प्रमुख मार्ग (वर्तमान/प्रस्तावित)

रेलवे लाईन/रेलवे क्षेत्र

नदी/नाला

अपरिभाषित क्षेत्र

वर्तमान मार्ग (बीकॉर्ड सम्बन्धित विमान के अतिरिक्त अनुसार)

नगर पालिका/कानूनी क्षेत्र सीमा

जोन की सीमा/ड्रॉप सीमा

वन क्षेत्र/वन सीमा

पट्टासीक

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

- की मुख्य भवन
- पब्लिक हॉल, क्लबहाउस, मन्दिर, क्लबहाउस ।
- की सार्वजनिक भवन
- कमल, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार ।
- की प्रमुख सड़क, बाजार एवं नगर विकास, प.उ. बाजार ।
- की सड़क, मिनट सिविल, क्लब एवं बाजार के अतिरिक्त ।
- की सड़क, पर्यटन विकास सिविल, क्लब एवं बाजार ।
- की सड़क, पर्यटन विकास
- सिवालय, हरिद्वार ।
- की सिवालय, हरिद्वार ।
- की सड़क एवं बाजार
- सुख नगर एवं बाजार सिविल, क्लब एवं बाजार ।
- की प्रमुख सिविल, क्लब सिविल एवं बाजार ।
- की मुख्य सड़क, पर्यटन विकास सिविल, क्लब एवं बाजार ।
- की सड़क, पर्यटन विकास
- कमल, नगर सड़क सिविल, हरिद्वार ।
- की सड़क सिविल एवं बाजार
- कमल, नगर विकास कृषि की सड़क ।
- की सड़क, नगर विकास, पर्यटन हरिद्वार ।
- की सड़क, नगर विकास, सुख नगर क्लब

(Handwritten notes and signatures in the margin)

- मांगवित्र में वन भूमि की सीमा वन विमान के सिविल, कृषि की रेडी घनत्व, अतिरिक्त घनत्व एवं बाजार की नेशनल पार्क द्वारा प्रस्तुत मांगवित्र के अनुसार पर है ।
- आन.हरिद्वार कला के "क" क्षेत्र में नू-सम्बन्धित एवं नई हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग "ब" में (हरिद्वार महायोजना में) दिखाएँ नये हैं जो सरकार द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत है ।
- आसपास संख्या 591/9-आ-3-2000-2 महा/97 आसपास अनुसंधान-3 संरक्षण विभाग 11 अगस्त 2000 द्वारा स्वीकृत ।
- दैनिक जागरण देहरादून संस्करण एवं दैनिक अमर उजाला नैरत संस्करण सम्बन्धित पत्रों में दिनांक 27 अगस्त 2000 को प्रकाशित ।

प्रदेश


(Signature)
(ए.के. मुकुर्मी)
सहायक निरीक्षक

(Signature)
(के.ए. सिंह)
सहायक निरीक्षक

(Signature)
(बी.के. गुप्ता)
सहायक निरीक्षक

(Signature)
(महेन्द्र प्रसाद शर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम निरीक्षक

मेरठ सभागीय नियोजन खण्ड ,
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश



हरिद्वार विकास क्षेत्र
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा

हरिद्वार विकास क्षेत्र
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा
 हरिद्वार विकास क्षेत्र का नक्शा

ऋषिकेश महायोजना

हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग ब)

संकेतिका

| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 1 | संकेतिका | 1 | संकेतिका |
| 2 | संकेतिका | 2 | संकेतिका |
| 3 | संकेतिका | 3 | संकेतिका |
| 4 | संकेतिका | 4 | संकेतिका |
| 5 | संकेतिका | 5 | संकेतिका |
| 6 | संकेतिका | 6 | संकेतिका |
| 7 | संकेतिका | 7 | संकेतिका |
| 8 | संकेतिका | 8 | संकेतिका |
| 9 | संकेतिका | 9 | संकेतिका |
| 10 | संकेतिका | 10 | संकेतिका |



उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-1(2 न0नि0)/2021
देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

03/10/2022
October
K.O. Guwahati
जिलाधिकारी
दिनांक 01/10/2022

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत, "अनुसूची-एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत तपोवन के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1616/IV(3)/2021-1(2 न0नि)2021 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत, तपोवन जिला टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

R.N.-1152/2021

अनुसूची-एक

| क्र.स. | राजस्व ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या |
|-----------|--|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | तपोवन | 909 | 62.005 | 3227 |
| 2 | घुघत्याणी-तल्ली | 934 | 24.614 | 410 |
| 3 | घुघत्याणी-मल्ली | 327 | 7.608 | 62 |
| 4 | जामरी काटल | 147 | 3.258 | 71 |
| 5 | पार्थो मध्ये विसर्जित वन क्षेत्रान्तर्गत तोक | | | 120 |
| कुल योग:- | | 2317 | 97.485 | 3890 |

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

189
76

संख्या- (1)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1853 (2)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।


190


(77)

Annexe R16









TAPOVAN

तपोवन

Ganges

730.28 m

3D


400 m




Measure



Move the map and add points to measure distances and area



Annex-2/7



8197

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED

ELECTRICITY BILL AND DISCONNECTION NOTICE
 GST NO: (UPCL) 05AAACU6007GLZP
 (RTS-10, NEW RTS-9 SMALL NON-DOMESTIC UPTO 4KW)



उत्तराखण्ड बिजली
 कॉर्पोरेशन लिमिटेड



41701151095

ACCOUNT NO : 41701151095

MODE OF PAYMENT DISHONOURD CHEQUE
 CASH / CHEQUE 0

| BOOK NO/ BILL GRP | CONNECTION NO | SEQUENCE NO | BILL NUMBER | DAYS | BILLING PERIOD | | BILL DATE | DUE DATE | DISCON. DATE |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | FROM | TO | | | |
| 9999/0 | TH09999900237 | 00 | SBC192724082 30049 | 31 | 23-07-2024 | 23-08-2024 | 23-08-2024 | 07-09-2024 | 22-09-2024 |

| DIVISION ID | DIVISION NAME | CIN | PREMISES OWNERSHIP | SUPPLY TYPE | CONTRACTED LOAD | VOLTAGE | PF | BILL BASIS |
|-------------|---------------|-----|--------------------|-------------|-----------------|---------|------|------------|
| TH0 | TEHRI | - | | 99 | 1.00 KW | 400 | 0.06 | RDF |

| METER NO | METER TYPE | PREV RDG KWH/KVAH | PRST RDG KWH/KVAH | MF | METERED UNIT KWH / KVAH | ASSESSED UNIT KWH / KVAH | ADJ UNITS | TOTAL BILLABLE UNIT | MAX DEMAND |
|----------|------------|-------------------|-------------------|------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 204280 | WC | 7255/46040 | RDF | 1.00 | 153/2470 | 153/0 | 0 | 153 | 2.00 |

| SRI/SMT. Mr. NIKHIL GOYAL S/O. AJAY KUMAR GOYAL BEHIND DECCON VALLEY TAPOVAN TAPOVAN | BILL PARTICULARS | | AMOUNT (Rs.) |
|---|---|--|--------------|
| | 1. ENERGY CHARGES @ Rs.9.1875/KWH | | 1,404.55 |
| | 2. MCG - ENERGY CHARGES | | 0.00 |
| | 3. FIXED/DEMAND CHARGES FOR CONTR LOAD @0- Above @ Rs.112.5/KW | | 137.50/0.00 |
| | 4. FIXED/DEMAND CHARGES FOR EXCESS LOAD | | 0.00 |

| ADD. SECURITY DEPOSIT REQUIRED (PLUS / LESS) | INTEREST ON SECURITY DEPOSIT | PROVISIONAL AMOUNT DEPOSIT | TOTAL MONTHS | AVERAGE UNITS | 5. VOLTAGE SUPPLY REBATE/SURCHARGE (LESS/PLUS) | 6. CAPACITOR/LPF SURCHARGE (PLUS) |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0/385.0 | 0.00/0.00 | 0.00/140.46 |

| DEPOSITED SECURITY AMOUNT | AMENDMENT BILL | NEXT READING DATE | WAIVER OF SURCHARGE | 7. SOLAR HEATER REBATE (LESS) (SOLAR CAP:0L) | 8. PROVISIONAL AMOUNT ADJUSTMENT/FCA ADJUSTMENT/ADLEC ADJUSTMENT (LESS) |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--|---|
| 3,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00/0.00/0.00 |

| ARREAR DETAILS | | | | | | 9. SAUBHAGYA AMT |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| | PREVIOUS YEAR | PERIOD | CURRENT YEAR | PERIOD | TOTAL | 10. COMPENSATION TO CONSUMER (LESS) (UPBHOKTA KO KSHATIPURTI) |
| ARREAR | 1,222.00 | | 6,703.96 | 7 | 7,925.96 | 0.00 |
| | | | | | | 11. ELECTRICITY DUTY @0.15/KWH /GREEN CESS @0.10 |
| | | | | | | 12. FUEL CHARGE ADJUSTMENT @ 0.0 / FPPCA SURCHARGE (PLUS) @ 0.0 / FPPCA REFUND (LESS) @ 0.75 |
| | | | | | | 13. ADDITIONAL POWER PURCHASE SURCHARGE @ |
| SURCHARGE | 0.00 | | 143.04 | 7 | 143.04 | 0.00/0.00 |
| | | | | | | 14. ADDITIONAL SURCHARGE / CONTINUOUS SURCHARGE |
| DISPUTED AMOUNT | 0.00 | DISPUT EDCURR ENT SUR CHARGE | 0.00 | DISPUT EDARRE ARSURC HARGE | 0.00 | 15. CURRENT DUE AMOUNT (1 To 14 TOTAL) |
| | | | | | | 16. CURRENT LATE PAYMENT SURCHARGE |

| ANNUAL EXCESS EC ADJ (MCG ADJ) | ANNUAL EXCESS EC CF | 17. TOTAL ARREAR / ASD INSTALLMENT / TCS AMOUNT DUE |
|--------------------------------|---------------------|---|
| Rs. 0.00 | Rs. 0.00 | 8,069.00 /0.0 /0.0 |
| | | 18. ADJUSTMENT (PLUS/LESS) |
| | | 0.00 |

| | | |
|---|---|----------|
| 07/2024 RDF-301 Rs.8,069.00, 05/2024 RDF-311 Rs.4,530.00, 03/2024 RDF-113 Rs.44,763.00, 02/2024 RDF-4216 Rs.43,541.00, 09/2023 NR-137 Rs.8,721.00, 08/2023 RDF-453 Rs.7,241.00, | 19. TOTAL PAYABLE AMOUNT (15 To 18 TOTAL) | 9,786.48 |
| | 20. LAST PAYMENT DETAILS | |
| | RECEIPT NO: 13510090324WS000035 DATE: 09/03/2024 Rs.43,541.00 | |
| | 21. TOTAL PAYABLE AMOUNT BY DUE DATE | 9,786.00 |

| On or Before: | *After: | *After: |
|---------------|------------|------------|
| 07-09-2024 | 07-09-2024 | 07-10-2024 |
| 9,786.00 | 9,905.00 | 10,025.00 |

Prompt Payment Rebate on monthly billing @ 1.50%(Online) or @ 1.00%(Offline) if paid upto date 02-Sep-2024. Maximum Rs.10000 for LT & Rs.100000 for HT

Energy charge is Calculated on Pro-rata per-day basis considering month days as 365/12=30.417

CAUTION: Every bill payment must be done within due date, otherwise according to the Indian electricity Act 2003 Section 56 (1), without any additional information the electricity supply will be disconnected on or after the disconnection date shown in this bill.



कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश
निकट अगोका हाटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, देहादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून ।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 02/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छः भवनों के सीवर सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी फ़ोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा कदसएण के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
2. स्व० श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकॉन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमिता, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता



निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/त्रघषि0/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई मतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नही है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।



निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2362.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

88

निरीक्षण आख्या

महोदय,


श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्ता०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ताजिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।



निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/४०/२०२०-२१, दिनांक-०८/०७/२०२० द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+४तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई २०.७५ मी० एवं औसत गहराई ८.९० मी० तथा कुल क्षेत्रफल १८४.६७ वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल ७३८.६८ वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-११०/जि०स्त०वि०प्रा०/२०२४-२५, दिनांक-२२-०६-२०२४ द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहसाई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Part (4) ✓ 205
Socio Community
Bill We have (92)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,
सहारनपुर रोड देहरादून।

01/8/17

पत्रांक 770 / मान0 सैल-विविध / 15-16

दिनांक 15/8

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।
- 2-समस्त अवर अभियन्ता,
मानचित्र सैल।
- 3-समस्त अवर अभियन्ता,
अवैध निर्माण सैल।
- 4-ड्राफ्ट्समैन / लेखपाल / पटवारी,
म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।

विषय:- मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रेषित संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय काम्प्लैक्स डिस्ट्रिक्ट रोड देहरादून के पत्र संख्या 311 दिनांक 12.7.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 की प्रति इस आशय से संलग्न की गयी है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मान0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, अतः उक्त आदेश की प्रति आपको अग्रतः कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृप्या तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

अधिसासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ व अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2 सचिव, महोदय म0दे0वि0प्रा0।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0।

अधिसासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

93

दूरभाष/फै० : 0135-2719500



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
Website- uhuda.org.in E-mail- uhudaok@gmail.com, info@uhuda.org.in

पत्रांक:- 311 / उडा-171 / एन0जी0टी0 / 2016-17

दिनांक: 12.06.2017

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. उपाध्यक्ष, गसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। | 2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार। |
| 3. सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल। | 4. सचिव, दून-घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून। |
| 5. उपाध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण, बंटीनाथ/औली/गौचर/गैरसैण/ रूद्रप्रयाग/श्रीनगर/पौडी/उत्तरकाशी /चमोली-गोपेश्वर। | 6. उपाध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण, पिथौरागढ़/कोसाली-लेशाल/बागेश्वर/ चम्पावत/रामनगर/हल्द्वानी-काठगोदाम। बजपुर/किच्छा/काशीपुर/रूद्रपुर |

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 की प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। (संलग्न मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय की प्रति)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Secretary

9/6/17
18-7-17

21/3/17

भावदीय

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

1332
24/7/17

Map Cell

24/7

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

मुख्यालय

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच.ओ/सा0-183(217)/2017/148-186

दिनांक 25.05.2017

फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा
कोर्ट गैटर/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. रागस्त जिलाधिकारी। चमोली/रुद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार/बागेश्वर/अल्मोड़ा/चम्पावत/नैनीताल/उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, तुलसी चौक भायापुर, हरिद्वार। फैक्स-01334-265702
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, नियम आई.एस.बी.टी., देहरादून। फैक्स-0135-6603103।
4. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी काम्प्लेक्स, नियर तहसील, डिसपेन्सरी रोड देहरादून। फैक्स-0135-2719700
5. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साहा), 12, प्रीतम रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2669062
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, 53, टी.एच.डी.सी. विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्प्लेक्स, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, 3/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल। फैक्स-05942-236897।
10. सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल। फैक्स-05942-23604।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नारायण विहार, कार्गी रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2622590
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल सहायक विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून।

विषय : सा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अचगत होना बाहें कि सा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा मूल आवेदन संख्या-199/2014 एवं मूल आवेदन संख्या-61/2017 में दिनांक 25.04.2017 को अन्य आदेशों के साथ नगरीय ठेका अपशिष्ट प्रबंधन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं-

"Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000Sq. Mtrs. area which will cover for construction area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the solid waste management Rule, 2016".

148
11.5.17

क्रमशः पृष्ठ-2

मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति राज्य बोर्ड की वेबसाईट-<http://ueppcb.uk.gov.in/contents/listing/8%20NGT%20orders> पर उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहें कि विषयगत प्रकरण मा0 एन.जी.टी. में विद्यमान है। संलग्नक :- यक्षोपरि।

सदस्य
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 मोता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से राज्य के समस्त स्थानीय निकायों को मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

28

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 199 of 2014

And

Original Application No. 61 of 2017

(Earlier OA No. 199 of 2014)

And

Original Application No. 281 of 2016

(M.A. No. 1007/2016 & M.A. No. 395/2017)

IN THE MATTER OF:

Amitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors
&

Kudrat Sandhu Vs. Govt. of NCT & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AJAY A DESHPANDE, EXPERT MEMBER

Present: Applicant :

Respondent :

Mr. Mandeep Kalra, Adv.
Ms. Divya Sharma, Adv.
Mr. Gautam Singh and Mr. Rudreswar Singh, Adv.
for State of Bihar and Bihar SPOB
Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
Ms. K. Entol Soma, Mr. Amith and Mr. Amit Kumar
Singh, Adv. for the State of Nagaland and Pollution
Control Board
Ms. Deep Shikha Bharati, Adv. for MoEF
Mr. Debareh Bhuyan and Mr. S.S. Rebello, Adv. for
State of Goa and Goa SPCE
Mr. Anil Sont, AAG and Mr. Naginder Benipal, Adv.
Mr. Om Prakash, Adv. Mr. Hemantika Wahi and Mr.
Kabir Nathi, Adv. for State of Gujarat
Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. for State of TN & TNPCB
Ms. Aprajita Mukherjee, Adv.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Dileep Dhyani, Adv. for
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Mr. G.M. Kawasra, Adv. for State of J&K
Mr. Santosh Prakash, Adv. for Zorba Entertainment
pvt. Ltd.
Ms. Mohini Singh, Adv., Mr. Ishan Khanna, Adv.
Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. and
Mr. Vikas Malhotra, Adv. for Ministry of
Environment, Forest and Climate Change
Dr. Abhishek Atrey, Adv. for UT of Lakshadweep
Mr. S. Sukumar, Mr. Anand Sukumar and Mr.
Bhupesh Kumar, Pathak, Adv. for Municipal
Corporation of G. Mumbai
Mr. P.K. Agrawal, Ms. Mercy Hussain, Adv. for hotel
Leela ambience
Mr. Atul Sharma, Adv., Mr. Nitish Jain, Adv., Ms.
Yamini Khosla, Adv. for Hotel Metropolitan
Mr. Sangram Pathak, Mr. Dhruvjit Sikk, Mr. Dhruv
Kumar, Mr. Swyamishtha Padalk, Mr. Suresh Chandre,
Adv. for Hotel Samrat
Ms. Mansha T. Karla, Adv., Ms. Nidhi Nagpal, Adv.,
Ms. Soumya, Ms. Mudt. Rood, Adv. for Holiday Inn
Hotel
Mr. Rahul Kumar, Adv. for Jawahar Lal Nehru society
Mr. Abhimanyu Mahajan, Adv., Ms. Anubha Goel,
Adv. for Hotel Leela Palace
Ms. Sakshi Popli, Adv. Ms. Pritika Singh, Adv. for
NDMC
Mr. Nilesh Shrivastava, Adv. for M/s Golden radiance?
palm Hotel
Mr. Sudarshan Rajan, Adv. Mr. Karajot Singh Malnes,
Adv. for Delhi Citizen Society
Ms. Pooja Kalra, Adv.
Mr. Ridwika Nanda, Adv., Mr. Sunil Raj, Adv. for
Notice No. 1 Max Healthcare Ltd.
Mr. Amit Agarwal, Adv., Ms. Asha Basu, Adv.
Mr. Shiv Mangal Sharma, AAG with Mr. Saurabh
Rajpal, Mr. Adhiraj Adv. for RSPCB
Mr. D.K. Thakur, AAG with Ms. Seema Sharma, Dy.
AG for State of Himachal Pradesh

92

Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of Uttar Pradesh
 with Mr. Raghuvendra Singh, Sr. Asst. General
 Mr. Jogy Scaria, Adv. for Kerala State Pollution
 Control Board
 Ms. Sunita Sharma President and Mr. Arun Lal
 Gudda, Secy for Bharat
 Mr. Taruna Sharma, Adv.
 Mr. Pradeep Hans, President, Neelkanth Apartment
 Rohini Delhi
 Mr. M.I.H Khan President RWA
 Mr. RAJUL Shrivastav, Adv.
 Mr. D.K. Thakur AAG with Ms. Soome Sharma, DAG
 for State of Himachal Pradesh
 Mr. Jayesh Gaurav Adv. for JSPCB
 Mr. Vikas Sood, Adv.
 Mr. B.V. Nisen, and Mr. Vinayak Gupta, Adv.
 Mr. Pinali Misra, Sr. Adv. and Mr. Manu Aggarwal,
 Adv.
 Mr. Arjun Pant, Adv. Mr. Pallav Pandey, Adv. for Res.
 17 hotel hallt
 Mr. Tarun S. and Mr. Amit Gupta, Adv.
 Dr. V.N.V. Sallish, Adv. for GTB Hospital.
 Mr. Anul Aggarwal for Dharamshala Hospital Noticee
 No. 9
 Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
 Ms. Meshkeshi Parlihan, Mr. Anurag Dubey, Adv. for
 M/s Lillywhite hotel Mr. Nishe Rajen Shonker, Adv.
 for State of Kerala
 Mr. Sudesh Kr. Shatriya, Adv., Mr. Pratyaksh Raj,
 Adv. for Park Plaza Hotel
 Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana Adv.
 for State of Haryana and Haryana Pollution Control
 Board
 Ms. Sapam Biswajit, Adv. Mr. Nareesh Kumar Gaur,
 Adv.
 Mr. Guntur Prabhakar and Mr. Guntur Pramod Kumar
 and Mr. Prashant Malhur, Adv. for State of AP
 Ms. Asha Dasu and Mr. Amit Agarwal, Adv. For West
 Bengal Pollution Control Board
 Mr. Debarshi Bhuyan, Adv. for state of Goa
 Mr. P. Venkat Reddy, Adv., Mr. Prashant Tyagi, Adv.
 for State of Nagaland
 Mr. Tavojam Momo Singh and Mr. Amith J., Adv.
 for Meghalaya SPCB
 Ms. Shilpa Ghosh Choudhary, Adv. for State of
 Maharashtra
 Ms. Aruna Mathur, Mr. Amit Arora, Ms. Anuradha
 Arputham and Mr. Avneesh Arputham, Adv. for
 State of Sikkim
 Mr. Rajiv Bansal, Mr. Ruch Sharma, Mr. Anirudh
 Chandra and Ms. Arpita, Adv. for Delhi Development
 Authority
 Ms. Divya Sharma, Adv., Mr. Arun Monga, Adv.
 Mr. Saurabh Kumar, Adv.
 Mr. Sunay Choudhary, Adv.
 Mr. M. Palkar and Mr. A. K. Panda, Adv.
 Mr. Anil Soti, AAG with Mr. Naginder Bontpal, Adv.
 Mr. Ashish Negi Adv. for Ms. Kleka Kapoor, Adv.
 Mr. Sameer Chaudhary, Adv. for Park Inn by
 Radisson
 Mr. Baldev Singh, Adv. for HPPCB
 Mr. Shuvodeep Roy and Mr. Sayooj Mahandas, Adv.
 for State of Assam and Assam PCB
 Mr. V.K. Shukla with Ms. Vijay Lakshmi, Adv. for
 State of MP
 Mr. Vijay Panwani, Adv. for Central Pollution
 Control Board
 Ms. Pragyan Pradip Sharma, Adv. for the State of
 Mizoram
 Mr. Anil Shrivastav, Mr. Ritiraj Biswas and Ms.
 Sujaya Bardhan, Adv.
 Mr. Aruna Mathur, standing counsel, Mr. Avneesh
 Arputham, Adv., Mr. Anuradha Arputham, Adv.
 Mr. Tarunvir Singh Khohar, Ms. Gunest Khehar and
 Ms. Charan Jot Singh, Adv.
 Mr. Rajat Shrivastav, Adv. for MP PCB
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECB
 Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Pandey, Adv. and
 Mr. Shubham Jalawati, Adv. for Andaman & Nicobar
 Island
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. with Mr. R.K. Maurya,
 Adv. for East Delhi Municipal Corporation.

Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSPCB
 Mr. Braja Mahapatra, Adv. with Mr. Dinesh Jindal,
 JO for Delhi Pollution Control Committee
 Mr. B.V. Niren, Adv. for MoUD
 Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv. for State of
 Uttarakhand
 Mr. Gopal Singh, Ms. Varsha Poddar, Mr. Rituraj
 Biswas, and Mr. Kumar Millind, Adv. for State of
 Tripura
 Mr. Jayant K. Mishra, and Mr. Abhijeet Srivastava,
 Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Mr. Vikas Malhotra, Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Ms. Mogha Tyagi, Adv. s.
 Mr. Shiv Chopra and Mr. Arush Khanna, Advs,
 Mr. Balendu Shekhar and Mr. R. K. Maurya advs and
 Mr. Vipin LDC
 Mr. Sanjay Manu and Mr. R. K. Pillar, and Mr. Vinay
 Kataria, Advs.
 Ms. D. Bharathi Reddy, Adv.
 Dr.
 Mr. Ashish Negi, Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv. for
 PPCB
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikas Kr. Sinha, Advs.
 Mr. Saurabh N. President and Mr. BB Bhandari, Sec.
 Ms. Sakshi Popli, Adv. for NDMC & DJB
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. for Noticee Hospital
 Swamy Daynard Hospital
 Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Shariq Zaidi, Ms
 Manel, Adv.
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikash Kumar Sinha,
 Advs.
 Mr. Sunny Choudhary, Adv. for MPRCB
 Mr. Saurabh Kumar Adv.
 Mr. Nilesh Shrivastava, Adv. for Noticee 1 for G.K.
 Motels Pvt. Ltd.
 Mr. Harish Sharma, Adv. for State of Chattisgarh
 Mr. Tanuj Agrawal, Mr. Ankit Prakash, Advs. For
 Fraser Suites
 Mr. Vibhav Misra, Adv., Ms. Soumya Misra, Adv. for
 DTC
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Vivekanda Mehla
 College
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Shaeed Sukhdev College
 Mr. Dr. R.K. Mahajan, Consultant Mr. Anil Bhatt, for
 Dr. RMC Hospital
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECH
 Mr. V.K. Shukla, Adv. with Mr. Vijay Lakshmi, Adv.
 Mr. O.M. Kawoosa, Adv.
 Ms. Deepshikha Bbarati, Adv. MoEF
 Dr. V.S.V. Satish, for CTB Hospital
 Mr. Shubham Bhalla, Adv., Mr. Dhruv Pal, Adv. for
 State of Punjab
 Mr. Edward Belho, AAG, Mr. K. Lukang Michael,
 Adv., Ms. Elly Gangmel, Adv.

| Date and Remarks | Orders of the Tribunal |
|--|---|
| Item No. 01-03 April 25, 2017 ss | <p>The Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change prays for time to seek instruction, if any of the Sub-Committees have filed their final report and also whether the all interim reports filed by the Committee with the Ministry and/or filed before the Tribunal by the Ministry. Let him take instructions positively by the next date of hearing and without default.</p> <p>In terms of order dated 10th April, 2017, Notices were</p> |

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

issued to all the defaulter Noticees Hospitals, Hotels, Schools, Railway stations and other buildings belonging to Public or Private both

Hospitals :-

From the Hospital's list of Sl. No. 1 to 15, Notices were issued, however, nobody appears on behalf of the following:-

1. IG ESI Hospital, Jhil Mill Colony, East Delhi.
2. GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi.
3. Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park, Delhi.
4. Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital, Near Delhi Gate, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi

As nobody is present on their behalf, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Medical Superintendents of all above these hospitals in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Noticees stated at Sl. No. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 15 are present personally or represented through counsels. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Hotels :-

All the hotels from Sl. No. 1 to 24 are present

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss.

personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

Colleges :-

From amongst the Educational Institutions, Noticee No. 4 is not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Registrar of Delhi Technological University in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Educational Institutions from Sl. No. 1 to 3 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Malls :-

Out of all the Malls to whom Notices were issued, the Noticee No. 1, 2, 3 and 5 are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Proprietor of all above theses Malls in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI

(2)

| | |
|---|--|
| <p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>39</p> | <p>Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908.</p> <p>(or) his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.</p> <p>Let the case of Noticee No. 5 - DLG Galleria, Mayur Vihar, Delhi be listed before Court No. 2.</p> <p>The Noticees No. 1, 2, 3 and 6 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15th May, 2017.</p> <p><u>Railway Stations:-</u></p> <p>From amongst all the 4 Noticees (Railway Stations), are present and represented through their Counsel. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15th May, 2017.</p> <p><u>Bus Terminals:-</u></p> <p>The Learned Counsel appearing for all the Bus Terminals submits that Notices have been served to them and they pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15th May, 2017.</p> <p><u>Waste to Energy Plant:-</u></p> <p>The Learned Counsel appearing for the Waste to Energy Plant Ghazipur of M/s. East Delhi Waste Processing Private Limited pray for time to file their replies. Replies be</p> |
|---|--|

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List this case for hearing on 15th May, 2017.

Residential Societies:

Out of the 9 Housing Societies, Notices Nos. 2 (Ekta Enclave) and 6 (Ghalib Memorial Cooperative GP Housing Society) are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Secretary of the Societies in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The remaining 7 Notices are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

We direct Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as Registry of National Green Tribunal to put up inspection report on its website within two days from today. Any of the Notices who have not received and/or not aware about the report of the Committee constituted by the Tribunal can access the report from the site and should file their replies as already directed.

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

Despite the time granted under the judgment and by the subsequent orders passed by the Tribunal, State Governments and Union Territories have not filed their comprehensive Status Report and Action Plan for compliance of the directions contained in the Judgment of the Tribunal in the case of Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors. in Original Application No. 199 of 2014. There is no justification for the parties concerned and all the State Governments not to file such report.

The Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board submits that they had received reports from some of the States they found serious deficiencies/shortcomings as given in para (5) and the Central Pollution Control Board has already written to the various State Governments to rectify such deficiencies and provide complete and comprehensive statements. The cut-off date/month provided was March, 2017, which is already over, however, in the interest of justice, we still grant last opportunity of two weeks for all the State Governments and Union Territories to file their Status Reports and Action Plan. All the concerned States which have filed their report to Central Pollution Control Board should rectify the defects/deficiencies as reported by Central Pollution Control Board within the same period.

We make it clear that in the event of non-compliance now, each State/Union Territory shall be liable to pay cost of Rs. 1 Lakh, which shall be recovered from the salary of the erring officers of the concerned Governments/Union Territories.

Vide our order dated 12th January, 2017, we had issued Show Cause Notice to all the State

206

| | |
|---|---|
| <p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p> | <p>Governments/Union Territories, as to why Tribunal should not pass directions requiring authorities to strictly adhere to the doctrine of Sustainable Development in its true concepts. Further, while UPcoming developing projects, industrial, residential and commercial, why directions be not issued to commence its work until and unless the development plans will provide collection, processing and disposal of municipal solid waste in accordance law and they are also to have their own sewage system plant.</p> <p>Unfortunately, till today, though more than sufficient time has expired, no reply to Show Cause has been filed except by the State of Maharashtra, State of Nagaland, Union Territory of Lakshadweep, State of Punjab, Administration of Andaman & Nicobar, State of Sikkim, State of Mizoram, State of Assam, State of Bihar, State of Himachal Pradesh, State of Kerala and State of Meghalaya.</p> <p>These cases would be listed on 15th May, 2017.</p> <p>We have heard the Learned Counsel appearing for various States and Union Territories including the one who have filed their replies. It is commonly conceded before us that all construction projects particularly which have larger area, should be directed to construct their own STP and should have complete mechanism for collection, transportation and disposal of municipal solid waste in accordance with Solid Waste Management Rule, 2016 that are comprehensive enough and provide complete mechanism in that behalf. Besides that some State Governments have issued guidelines where they have required the builders of buildings where the constructed area is more than 4000 Sq. Mtrs. to have their own</p> |
|---|---|

Item No.
01-03

April 25,
2017

89

facilities. These mass generators of waste are under statutory as well as corporate social responsibility to ensure that they do not throw untreated sewage, domestic/commercial waste and municipal solid waste in the open areas or in the water bodies and the Dhalaos without discharging their fundamental duties as contemplated under Article 51(a)(g) of the Constitution of India. The interest of the environment which is in a public interest must not be permitted to undermined for the commercial interest. The builders of such huge constructions should be directed to put up such facilities not only in the interest of environment and public health at large, but even at their own interest.

Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000 Sq. Mtrs. area which will cover for construction of any commercial, industrial and even residential area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the Solid Waste Management Rule, 2016.

This direction shall apply to all the pending sanctions as of today and to all cases without exception in future.

List these matters for further directions on 15th May, 2017.

Copy of this order should be circulated to all the Chief Secretaries of the State Government as well as the State Pollution Control Boards which in term shall circulate to all

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>88</p> | <p>the local authorities.</p> <p>.....,CP (Swatanter Kumar)</p> <p>.....JM (Raghuvendra S. Rathore)</p> <p>.....EM (Bikram Singh Sajwan)</p> <p>.....EM (Dr. Ajay A Deshpande)</p> |
|--|---|--|



RL



IN THE COURT OF National Green Tribunal

Suit / Appeal No. 211/2394 JURISDICTION OF 201

In re:- Sanjay Aggarwal & Ors Plaintiff(s) Or Petitioner(s)
Appellant(s) Or Complainant(s)

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors Defendant(s)/Respondent(s)/Accused

KNOW ALL to whom these Present shall come that I / We Respondents

The above named Respondents do hereby appoint

| | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Rohit Pandey</u> | <u>Munisha Arand</u> | <u>Adhyayan Gupta</u> |
| <u>01/13/10</u> | <u>04/29/2015</u> | <u>01/9/2022</u> |
| | | |

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above - noted case authorize him/them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me / us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned to hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/ us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I / We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do herunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understand by me/ / us on this..... day of 20...y. Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate

Client

Client

I identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person, Who Has Been Signed in My Presence, The Client.



Adhyayan Gupta <adv.adhyayangupta23@gmail.com>

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)

1 message

Adhyayan Gupta <adv.adhyayangupta23@gmail.com>

Thu, Nov 7, 2024 at 4:18 PM

To: "moef.ddn@gmail.com" <moef.ddn@gmail.com>, staffo-mirri-uk@gov.in, ddo-tehri@uk.gov.in, sanjay.agall@gmail.com

 SANJAY AGARWAL 3 (1).pdf SANJAY AGARWAL 2 (1).pdf SANJAY AGARWAL (1) (1).pdf

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)